फर्द अहकाम

रामरतन **बनाम** कोहिलाल

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या.....130...../2021 धारा 91 ना.

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	05 3/26	वकालतनामा फरीकैन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः दिनांक 24.3.26 को
	24/03/26	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी। प्रार्थी द्वारा दिनांक 08/14/15 को सलपाड़ का कौंसिल होने तक वन्यकर्म किया जाता है। पत्रावली कौंसिल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर है कम हो बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)